न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/19

1. बजरंगसिंह पुत्र श्री उमराव सिंह जाति राजपूत निवासी सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामकरण जाति गुर्जर
2. घीसा पुत्र छोगा जाति गूर्जर
3. बन्नाराम पुत्र रामरतन जाति गुर्जर
4. धन्नाराम पुत्र रामरतन जाति गुर्जर
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकरसिंह राजपूत
6. पृथ्वीराजसिंह पुत्र श्री मूलसिंह राजपूत
   निवासीगण सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
7. तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

–अप्रार्थीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थितः– श्री उम्मेदसिंह राठौड़ – वकील प्रार्थी
श्री सरकार – वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 24.3.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर ग्राम सलारी तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069–72 की निम्नवर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करने की प्रार्थना की हैः–

खेवट खतौनी संख्या नयी – पुरानी	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
18– 21	1271	0.14	चाही 1,जाव 1
	1272	0.53	चाही 1,जाव 1
	1273	0.25	चाही 1,जाव 1
	1336	0.21	चाही 1
	1337	0.21	चाही 1,जाव 1

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के पिता उमराव सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह राजपूत निवासी सलारी की खातेदारी कब्जे काश्त, आधिपत्य स्वामित्व की आराजी ग्राम सलारी तह[illegible] केकड़ी जिला [illegible] स्थित है । प्रार्थी के पिता उमराव सिंह की मृत्यु दिनांक 09.10.2018 को हो [illegible] है [illegible] प्रार्थी मृतक उमराव सिंह का वारिस काबिज है। आराजीयात [illegible] प्रकार [illegible] अलावा किसी दीगर व्यक्ति या अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का विधिक अधिकार व हक हिस्सा [illegible] तथा अप्रार्थीगण 1 से 6 प्रार्थी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की आराजीयात पर पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण जबरन अतिक्र[illegible] कर कब्जा करने की धमकियां देते है तथा पत्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा बाबत् आये दिन लड़ाई–झगड़ा प्रार्थी से करते रहते है। इसके बाद दिनांक 08.05.2019 को प्रार्थी अपने खेत की हकाई बुवाई करने गया तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 व उनके परिवार जन ने मौके पर पत्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा के बाबत् विवाद किया तथा लड़ाई–झगड़ा करने लग गये। अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी नाप चौप करवायी जावे। ताकि अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संख्या 1 लगायत 6 व उनके परिवारजन, प्रार्थी से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करे। अतः पत्थरगढ़ी व सीमाचिन्ह अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 08.05.2019 को उत्पन्न हुआ व दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 06 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहे तथा उन्होने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ, जिसमे बताया गया कि ग्राम सलारी की आराजी खसरा नंबर 1271,1272,1273,1336,1337 रकबा क्रमशः 0.14,0.53,0.25,0.21,0.21है0 उमराव सिंह पुत्र प्रताप सिंह के नाम दर्ज है। खातेदार की मृत्यु संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। रिपोर्ट मौका पर्चा प्रमाणित दिनांक 01.06.18 के अनुसार सीमाज्ञान किया जाना जाहिर है। एवं अप्रार्थीगण द्वारा विवाद की स्थिति भी पैदा होना बताया गया है। वादी का दावा उचित है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम सलारी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या नया–पुराना 18–21 खसरा नंबर 1271,1272,1273,1336,1337 रकबा क्रमशः 0.14,0.53,0.25,0.21,0.21 है0 उमराव सिंह पुत्र प्रताप सिंह कौम राजपूत निवासी सलारी तहसील केकड़ी की खातेदारी भूमि है। खातेदार को स्वयं की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का हक अधिकार प्राप्त है। अतः प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार केकड़ी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आवेदन कर शुल्क जमा कराने पर दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति पत्थरगढ़ी करवाये एवं स्थायी सीमाचिन्ह अंकित करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner